गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश
नागरिक अधिकार पत्र

इस नागरिक अधिकार पत्र का मूल उद्देश्य गन्ना विकास विभाग की कार्य प्रणाली को स्वच्छ, संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाते हुए विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों में गन्ना कृषकों की समस्याओं एवं विभागीय कार्यों को समयान्तर्गत निस्तारण के प्रति उत्तरदायी बनाना है।

प्रदेश में गन्ना मुख्य नगदी फसल है, जिससे लगभग 40 लाख कृषक जुड़े हुये हैं, जिनके द्वारा प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों एवं खाण्डसारी इकाईयों को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने को चीनी मिलों में समयबद्ध आपूर्ति कराते हुये चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है। उक्त कार्य के लिये प्रत्येक चीनी मिल स्तर पर सहकारी गन्ना समितियां स्थापित हैं।

चीनी मिल क्षेत्र में गन्ने के विकास, गन्ना सर्वेक्षण, गन्ना आपूर्ति हेतु पर्ची, कैलेण्डर तथा अन्य विकास कार्यों का सम्पादन सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों द्वारा किया जाता है। गन्ना सूचना प्रणाली के माध्यम से गन्ना कृषकों को निःशुल्क सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं। गन्ना विकास परिषद स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं समिति स्तर पर सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियों का कार्यकारी प्राधिकारी होता है। जनपद स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी, मण्डल स्तर पर संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त तथा राज्य स्तर पर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश उक्त संस्थाओं के नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान में संभावित अनियमितताओं की रोकथाम के लिये गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त खाण्डसारी इकाईयों पर नियंत्रण हेतु खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षक नियुक्त हैं।

➢ विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य–

- चीनी मिल क्षेत्रवार गन्ना सर्वेक्षण कार्य।
- गन्ने की पेड़ी एवं पौधा हेतु क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आंकलन कराना।
- चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियों की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना कृषकों को बीज गन्ना उपलब्ध कराना।
- गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु कृषकों को समुचित जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने की दृष्टि से गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनी मिल क्षेत्रों में अधिकतम गन्ना उपज का आंकलन कराना।
- विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रति इकाई भूमि, जल एवं उर्वरक का उपयोग कर अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन प्राप्त करना।
- गन्ना सूचना प्रणाली (SIS) के माध्यम से गन्ना कृषकों को अद्यावधिक सूचनायें उपलब्ध कराना।
- गन्ना कृषकों व चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना तथा गन्ना खेती के विविध तकनीक को विकसित करना।
- चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता हेतु पर्याप्त गन्ना क्षेत्र व गन्ने का आबंटन करना।
- गन्ना किसानों को उनके द्वारा समितियों के माध्यम से आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना।
- चीनी मिल गेट से 15 कि0मी0 क्षेत्र के बाहर खाण्डसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर लाइसेन्स निर्गत करना तथा क्रयकर वसूलना।

- गन्ना कृषकों, चीनी मिलों व गन्ना विकास विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- गन्ना किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार कृषि निवेश, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना।
- राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।
- गन्ने की ढुलाई हेतु सम्पर्क मार्गो का निर्माण कराना।

➢ गन्ना सूचना प्रणाली (SIS)

- गन्ना सूचना प्रणाली के अन्तर्गत गन्ना कृषकों को वेबसाइट, एस.एम.एस., क्यू.एस.एम.एस., आई.वी.आर.एस., एच.एच.सी. व जी.पी.एस. सर्वे के माध्यम से प्रमाणिक सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
- गन्ना कृषकों को अद्यावधिक गुणवत्तापरक सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु समिति, जिला, क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर गन्ना सूचना प्रणाली का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

1. <u>वेबसाइट</u>

- गन्ना कृषकों को सर्वे, पर्ची, तौल, भुगतान एवं गन्ना विकास सबंधी दी जाने वाली समस्त सूचनायें पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं एवं प्रत्येक चौबीस घण्टे में सूचनायें/आंकड़े अद्यावधिक किये जाते है।
- उक्त सूचनायें प्रत्येक गन्ना किसान एवं सभी चीन मिलों हेतु उपलब्ध रहेगी।
- गन्ना सूचना प्रणाली से सम्बन्धित शिकायतों एवं उनके निराकरण के लिए विभाग एवं प्रत्येक चीनी मिल की वेबसाइट पर फीडबैक प्रारूप उपलब्ध है।
- उक्त फीडबैक प्रारूप पर शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है।
- प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था है।

2. <u>एस.एम.एस.</u>

- गन्ना कृषकों का चीनी मिल के साथ प्रत्येक सम्पर्क यथा – सर्वे, पर्ची, तौल, भुगतान एवं विकास आदि सम्बन्धी एस.एम.एस. निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- चीनी मिल द्वारा समस्त गतिविधियों के एस.एम.एस. 12 घण्टे के भीतर उपलब्ध कराया जाता है।
- चीनी मिल द्वारा प्रेषित समस्त एस.एम.एस. स्पष्ट रूप से चीनी मिल की वेबसाइट पर एस.एम.एस. लॉग में प्रदर्शित होता है।

3. <u>क्यू.एस.एम.एस.</u>

- गन्ना कृषकों द्वारा क्वेरी एस.एम.एस. के माध्यम से प्रेषित संदेश का उत्तर अधिकतम पाँच मिनट में प्राप्त हो जाता है। यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

4. आई.वी.आर.एस.

- गन्ना कृषकों को उनके क्षेत्रफल, कैलेन्डर, पर्ची, तौल, भुगतान एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की अद्यावधिक सूचना आई.वी.आर.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
- चीनी मिलों द्वारा आई.वी.आर.एस. सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है, जिससे अधिकतम दो मिनट में जानकारी प्राप्त हो जाती है।

5. <u>एच.एच.सी.</u>

- प्रत्येक गन्ना क्रय केन्द्र पर HHC स्थापित एवं संचालित है। किसी प्रकार की खराबी की दशा में चार घण्टे के भीतर दूसरा HHC स्थापित कर संचालित कराने की व्यवस्था उपलब्ध है।
- गन्ना कृषकों को क्रय केन्द्र पर गन्ना तौल के तुरन्त बाद कुल वजन, दर एवं कुल गन्ना मूल्य की कम्प्यूटराइज्ड पर्ची उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध है।

➢ आपके अधिकार –

- स्थानीय गन्ना समिति का सदस्य बनना।
- कृषि निवेश प्राप्त करना ।
- विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रतिभाग करने हेतु गन्ना विकास परिषद में प्रार्थना पत्र देना।
- गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त न होने पर स्थानीय गन्ना समिति तथा चीनी मिल में आवेदन पत्र देना।
- पर्ची न मिलने अथवा गायब होने पर स्थानीय गन्ना समिति/चीनी मिल में सम्पर्क करना।
- बेसिक कोटा से अधिक गन्ना आपूर्ति हेतु चीनी मिल की आवश्यकतानुसार गन्ना विकास परिषद में अतिरिक्त सट्टा एवं सामान्य बढ़ोत्तरी हेतु प्रार्थना पत्र देना।
- कृषि निवेश के लिये गन्ना समिति से चेक बुक प्राप्त करना।
- गन्ना समिति का सदस्य बनने हेतु स्थानीय गन्ना समिति में सदस्यता शुल्क एवं अन्य औपचारिक अभिलेख जमा करना।
- जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
- गन्ना सूचना प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न माध्यम से निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	निर्धारित शुल्क	समयावधि
1.	सदस्यता फार्म	निःशुल्क	1 दिन
2.	समिति सदस्य बनने हेतु	रू0 221.00 (प्रति सदस्य)	एक सप्ताह
3.	कृषि निवेश/कृषि यंत्र	उधार	1 दिन
4.	कैलेण्डर/डुप्लीकेट कैलेण्डर	निःशुल्क	1 दिन
5.	डुप्लीकेट पर्ची	निःशुल्क	1 दिन
6.	अतिरिक्त सट्टा	रू0 2.00 प्रति कुन्टल	दो दिन
7.	ना पावना प्रमाण पत्र	रू0 10.00 प्रति सदस्य	1 दिन
8.	लोन/चेक बुक	रू0 20.00 प्रति सदस्य	1 दिन
9.	सर्वे/सट्टा में संशोधन	निःशुल्क	1 दिन
10.	गन्ना सूचना प्रणाली के तहत मोबाइल नं0 में परिवर्तन करना	निःशुल्क	1 दिन
11.	पासवर्ड परिवर्तन करना	निःशुल्क	1 दिन
12.	एस.आई.एस. सूचना प्रणाली में गन्ना कृषकों की आधारभूत सूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन	निःशुल्क	1 दिन
13	गन्ना सूचना प्रणाली के अन्तर्गत सूचना प्राप्त न होने की शिकायत का निस्तारण	निःशुल्क	3 दिन

➢ गन्ना विकास विभाग की योजनाएं

क्र0सं0	संचालित योजनाओं के नाम	विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान
1. जिला योजना :–		
	▪ सघन गन्ना विकास	
	(क) उन्नतिशील गन्ना बीज पौधशाला i–आधार पौधशाला	रू0 1000 प्रति हेक्टे0 सामान्य तथा रू0 2000 प्रति हेक्टे0 अनु0जाति/जनजाति को अनुदान दिया जाता है।
	ii–प्राथमिक पौधशाला	रू0 500 प्रति हेक्टे0 सामान्य तथा रू0 1000 प्रति हेक्टे0 अनु0जाति/जनजाति को अनुदान दिया जाता है।
	(ख) बीज उपचार/भूमि उपचार	संबंधित दवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान 2500 टी0सी0डी0 क्षमता वाली मिल क्षेत्र को तथा 2500 टी0सी0डी0 से ऊपर की मिल को 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
	(ग) पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम	संबंधित दवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान 2500 टी0सी0डी0 क्षमता वाली मिल क्षेत्र को तथा 2500 टी0सी0डी0 से ऊपर की मिल को 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
	▪ अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना	निर्मित होने वाली सड़क का 60 प्रतिशत राज्यांश एवं शेष 40 प्रतिशत धनराशि अशंदायी संस्थाओं जैसे–गन्ना विकास परिषद, सहकारी गन्ना विकास समिति एवं चीनी मिल द्वारा अंशदान वहन किया जाता है।
2– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–		
	i– आधार पौधशाला	केन्द्रक बीज से स्थापित पौधशाला पर उत्पादित बीज वितरण पर रू0 50.00 प्रति कुन्टल अनुदान दिया जाता है।
	ii– प्राथमिक पौधशाला	आधार पौधशाला से स्थापित पौधशाला के बीज वितरण पर रू0 25.00 प्रति कुन्टल अनुदान दिया जाता है।
	iii– बीज यातायात	शोध केन्द्रों से बीज लाकर आधार पौधशाला में स्थापना हेतु रू0 15.00 प्रति कुन्टल तथा आधार पौधशाला से प्राथमिक पौधशाला के स्थापना हेतु बीज वितरण पर रू0 7.00 प्रति कुन्टल अनुदान दिया जाता है।
	iv– प्रदर्शन	प्रदर्शन 0.500 हेक्टे0 के स्थापित किये जाते है जिस पर रू0 15000 प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है।
	v– कृषि संयंत्र वितरण	• मानव चालित यंत्र– यंत्र के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

		• पशु चालित यंत्र– यंत्र के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 2500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है। • ट्रैक्टर चालित यंत्र– यंत्र के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 30,000 का अनुदान कृषकों को दिया जाता है।
	vi– सूक्ष्म तत्व वितरण	सूक्ष्म तत्वों के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1000 प्रति हेक्टेयर
	vii– मृदापरीक्षण प्रयोगशाला	चीनी मिलों में स्थापित की जाती है, जिस पर रू0 20.00 लाख प्रति प्रयोगशाला अनुदान दिया जाता है।
	viii– प्रशिक्षण	▪ राज्य स्तरीय – विभागीय तथा चीनी मिल स्टाफ को 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके व्यय हेतु रू0 20000 प्रति प्रशिक्षण गन्ना किसान संस्थान को अनुदान प्राप्त होता है। ▪ स्थानीय – चीनी मिल/गन्ना विकास परिषद स्तर पर 100 कृषकों को 1 दिन का प्रशिक्षण के व्यय हेतु रू0 12500 का अनुदान दिया जाता है।
	ix– जिला स्तरीय किसान मेला	प्रत्येक जनपद वर्ष में 2 बार आयोजन की व्यवस्था है प्रति मेला रू0 1.00 लाख अनुदान ।
	x–आकाशवाणी/दूरदर्शन	स्पाट कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ने की खेती के विकास के लिये आवश्यक कार्यक्रम हेतु धन की व्यवस्था
	xi–उत्पादक पुरस्कार	कृषकों को गन्ने की खेती के प्रतिस्पर्धा स्थापित करने हेतु जिला/मण्डल/राज्य स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्तर के पुरस्कारों की व्यवस्था।
	वितरित किये जाने वाले कृषि संयंत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–	
	(अ) मानव चालित यंत्र–	• स्प्रेयर • डस्टर
	(ब) पशु चालित यंत्र–	• रिजर/हैरो • बीडर/मल्चर स्वीप कल्टीवेसन फार इन्टरकल्चर आपरेशन • क्रस्ट ब्रेकर • शुगरकेन प्लान्टर • थ्री टाइ कल्टीवेटर • छः डिस्क हैरो • फाइव टाइन कल्टीवेटर

<table>
<tr><td></td><td>(स) ट्रैक्टर चालित यंत्र–</td><td>• रोटावटर
• सेट कटिंग मशीन
• सेमी–आटोमेटिक शुगरकेन प्लान्टर/कटर 2 या 3 लाइन
• ट्रैक्टर डिवेन स्टवल सेवर
• बीडर (9 या 11 ब्लेड)
• कल्टीवेटर (9 या 11 ब्लेड)
• ट्रेन्च ओपनर/प्लान्टर</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">गन्ने की स्वीकृत प्रजातियाँ :–</td></tr>
<tr><td>(अ) शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ
(सम्पूर्ण उ0प्र0हेतु)
को0शा0–8436, 88230, 95255, 96268
को0जे0–64
कोसे0–95436</td><td>(ब) मध्य देर से पकने वाली प्रजातियाँ
(पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश हेतु)
को0शा0–8432, 97261, 94257, 95422, 97264, 96275
को0से0–92423
को0पंत0–84212</td></tr>
<tr><td>(पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु)
को0से0–98231, 8432, 01235</td><td>(पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु)
यू0पी0–39
को0शा0–8432, 91230
को0से0–92423</td></tr>
<tr><td>(स) जल प्लावित क्षेत्रों के लिये
(सम्पूर्ण उ0प्र0 हेतु)
यू0पी0–9530
को0से0–96436</td><td>(सम्पूर्ण उ0प्र0 हेतु)
को0से0–95422, 95427
यू0पी0–22, 0097</td></tr>
</table>